भगवती देवी बनाम श्रीराम

T I मु. नं. 173 वर्ष 2014

आज्ञा-पत्र

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत व्यापन आपके द्वारा केस कार्ड चक्रपुरा में पेश रु. 1000 में मूल वाद R.O.B. गया था की प्रकरण में आवश्यकता विधिमान्य स्थायीक रूप से लिखे रूपि हो जो आधिकारिक रूप से मूल वाद के निस्तारण तक प्रकरण में उभय पक्षों को पावक किया जाना उपयोगिट है क्योंकि इस उच्चस्तर का दो कारण उभय पक्षों को पत्रिये आवश्यकता विधेयाज्ञा से पावक किया गया है कि लम्बोरिक वाद विवादित प्रकियों के निकाई व मोके को प्रभावित करते रहो 1000 फसल मुआवा होकर आपस में वाद को अधिक रूपए का निर्णय आप अपने आज से सुनाया गया।

(जूली भार्गव)
प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
दीकरद